

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक— 31/ 12/2021 ई०।

1. संख्या—13/पी2—103/2021— 5031/सी०, श्री अजय कुमार सिंह, भा०पु०से० (1989), महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार— अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. संख्या—13/पी2—103/2021— 5032/सी०, श्री अनिल पालटा, भा०पु०से० (1990), अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक कोटि (वेतनमान— पे—मैट्रिक्स का लेवल—16) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
श्री अनिल पालटा, भा०पु०से० के द्वारा महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को स्थिति एवं उत्तरदायित्व हेतु भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम—9 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समतुल्य घोषित किया जाता है।
उक्त प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा।
3. संख्या—13/पी2—103/2021— 5033/सी०, श्री ए० नटराजन, भा०पु०से० (1991), अपर पुलिस महानिदेशक, (निगरानी—सह—सुरक्षा) झारखण्ड राज्य उर्जा विकास निगम झारखण्ड, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक कोटि (वेतनमान—पे—मैट्रिक्स का लेवल—16) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक (निगरानी—सह—सुरक्षा) झारखण्ड राज्य उर्जा विकास निगम झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
श्री ए० नटराजन, भा०पु०से० के द्वारा महानिदेशक, (निगरानी—सह—सुरक्षा) झारखण्ड राज्य उर्जा विकास निगम, झारखण्ड राँची के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद को स्थिति एवं उत्तरदायित्व हेतु भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम—9 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक के संवर्गीय पद के समतुल्य घोषित किया जाता है।
उक्त प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(शैलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक — 13/पी०2—103/2021— 5033/

राँची, दिनांक— 31/ 12/2021 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०—डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

21

ज्ञापांक - 13/पी०2-103/2021- 5033/

राँची, दिनांक- 31/ 12/2021ई०।

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि० राँची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

299
गुलश
31.12.2021

सरकार के अवर सचिव।